

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 60/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/75

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा

बनाम

अभियुक्त :-


1. श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मगनलालजी जैन मैसर्स मन्थन ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड, बागीदौरा, बांसवाड़ा
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री शंकरलालजी त्रिवेदी मैसर्स कृष्णा टी डिपो, पुराना बस स्टेण्ड, बागीदौरा, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा (राज) के द्वारा दिनांक 23-12-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 25-09-2021 को 03.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मन्थन ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड, बागीदौरा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मगनलालजी जैन उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) के 500-500 ग्राम के 35 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) के चार पैकेट विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी कीमत 560 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। खरीद किये गये चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) चार पैकेट के चार भाग कर डी.ओ एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बांसवाड़ा के कोड व सिरीयल नंबर W-819 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार नमूना भागों में से नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर के जाँच हेतु खाद्य

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)


विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा व खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2021/241-242 दिनांक 22.10.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 199 दिनांक 08.10.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड और Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z1) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 24-12-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17.01.2022 को अभियुक्तगणों ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी. ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2021/241-242 दिनांक 22.10.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 199 दिनांक 08.10.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड और Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z1) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की


  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)

अवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड और Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड चाय (ब्राण्ड कृष्णा स्पेशल) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मगनलालजी जैन मैसर्स मन्थन ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड, बागीदौरा, बांसवाडा को 10000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री शंकरलालजी त्रिवेदी मैसर्स कृष्णा टी डिपो, पुराना बस स्टेण्ड, बागीदौरा, बांसवाडा को 25000/- (अक्षरे रू. पच्चीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
( नरेश बुनकर )  
न्यायनिर्णयन अधिकारी  
(अति० जिला कलेक्टर)  
बांसवाडा (राज.)